देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
आर.एन.टी. मार्ग,
इन्दौर – 452001

क्रमांक :भण्डार/ई.वेस्ट. एव इले.वेस्ट/2022/104 दिनांक : 18 APR 2022

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक
   समस्त अध्ययनशालाएं एवं संस्थान, तक्षशिला परिसर,
2. समस्त अधिकारी, तक्षशिला एवं नालंदा परिसर,
3. प्रमुख वार्डन/प्रपालक छात्रावास

विषय :– Electronic & Electrical Waste के निस्तारण बाबद् ।

संदर्भ :– (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक : भण्डार ई वेस्ट एवं इले. वेस्ट/2015/548, दिनांक 15.04.15, पत्र क्रमांक : भण्डार ई वेस्ट एवं इले. वेस्ट/2018/123, दिनांक 03–05–2018,
(2) विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमाकःभण्डार/निपटान/2016/158 दिनांक 27–12–2016
(3) क्रमाकःभण्डार/ई–वेस्ट एव इले. वेस्ट/2020/300 दिनांक 08–07–2020

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में उल्लेखनीय है कि Electronic & Electrical Waste के निस्तारण बाबद भारत सरकार / म. प्र. शासन के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों प्रपत्रों आदि की संकलित की गई प्रतियां पुस्तक स्वरूप में (Book Form) उपरोक्त पत्र के साथ आपकी ओर आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की गई थी । इस संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर से प्राप्त क्रमांक 671/मुप्रनिबो/तकनीकी/ई–वेस्ट/2019 भोपाल, दिनांक 23–3–2019 एवं पत्र क्रमांक/क्षे.का./तक.शा./ई–वेस्ट/2020/1307 इन्दौर, दिनांक 17–06–2020 प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि ई–वेस्ट का निस्तारण तद्नुसार निश्चित् करें ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष अपनी–अपनी विभागीय समिति के माध्यम से निस्पादन की कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात् उसकी एक प्रति प्रशासकीय कार्यालय स्थित भण्डार विभाग में भेजने का कष्ट करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 78, पार्ट–2, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) – 452010 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (भण्डार)

(2364)

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016
Tel.No.-07552464428, 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

क्रमांक 671 / मुप्रनिबो / तकनीकी / ई–वेस्ट / 2019 भोपाल, दिनांक: 23-3-19

प्रति,

कुल सचिव
देवी अहिल्या विश्वविघालय,
आर.एन.सी.टी. मार्ग जिला इन्दौर

वैधानिक सूचना

Head
IT centre
DR Store
Copy

विषयः– बल्क कन्ज्यूमर द्वारा ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कियान्वयन बाबत् ।

सन्दर्भः– 1. ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016.
2. मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र कमांक एफ–02–01 / 2010 / 56 दिनांक 08 / 08 / 2014.

उपरोक्त विषयांतर्गत विदित हो कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10 जून 2015 में ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 प्रकाशित कर 01 अक्टुबर 2016 से लागू किये गये हैं ।

कृपया नियम की कंडिका 3 (पी) एवं अनुसूची 1 का अवलोकन करें । नियम की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार आपकी इकाई / संस्था से निकलने वाले ई–वेस्ट (इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल वेस्ट) का फार्म–2 में रिकार्ड रखा जाना आवश्यक है तथा ई–वेस्ट निपटान का लेखा–जोखा फार्म–3 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रतिवर्ष 30 जून तक जमा करवाना अनिवार्य है ।

मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 08 / 08 / 2014 को पत्र कमांक एफ–02–01 / 2010 / 56 द्वारा इलेक्ट्रानिक वेस्ट (ई–वेस्ट) के सुरक्षित निवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किये थे कि "प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह के ई–वेस्ट को निविदा / नीलामी कर कबाड़ के रूप में बेच दिया जाता है जो कि नियम विरूद्ध है । कृपया ई–वेस्ट को भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसायकलर्स के माध्यम से निष्पादन किया जाना चाहिए" किन्तु प्राथमिकता मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसायकलर को दें ।

उपरोक्त नियम के उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत् इसे दण्ड़नीय अपराध घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की कैद व एक लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ई–वेस्ट निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में भरकर 15 दिवस के अंदर सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सूचित करने का कष्ट करें । नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–
क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(2336)

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीमनं 78, पार्ट–2, अरण्य, विजयनगर, इंदौर (म.प्र.) – 452010
☎0731-4035618, 2555436 Fax : 0731 - 4035618 e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com,website: www.mppcb.nic.in

क्रमांक /क्षे.का./तक.शा/ई–वेस्ट/2020 इंदौर, दिनांक 12/06/2020

प्रति, 1307

Devi Ahilya Vishwavidyalaya
Nalanda Campus, R. N. T., Rabindranath Tagore Marg, Chhoti Gwaltoli
District - Indore (M.P.)

विषय :–बल्क कन्ज्यूमर द्वारा ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के क्रियान्वयन बाबत्।
संदर्भ :–1. ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 328 दिनांक 20.01.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत विदित हो की भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक जीसआर 338(ई) दिनांक 23/03/2016 द्वारा ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 प्रकाशित किया गया हैं जो सम्पूर्ण भारत में दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावशील है।

कृपया नियम की कंडिका 3 (पी) एवं अनुसूची 1 का अवलोकन करें। नियम की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार आपकी इकाई/संस्था से निकलने वाले ई–अपशिष्ट (इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रकल वेस्ट) का फार्म–2 में रिकार्ड रखा जाना आवश्यक है तथा ई–वेस्ट निपटान का फार्म–3 में वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश शासन, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने दिनांक 08/08/2014 को पत्र क्रमांक एफ–02–01/2010/56 द्वारा इलेक्ट्रानिक वेस्ट (ई–वेस्ट) को सुरक्षित निवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किये थे कि ई–वेस्ट को निविदा/नीलामी कर कबाड के रूप में बेच दिया जाता है जो कि नियम विरूद्ध है। ई–वेस्ट को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत कलेक्शन सेन्टर रिसायकलर्स को ही दिया जावे। म.प्र. राज्य में अधिकृत कलेक्शन सेन्टर रिसायकलर्स की सूचीबोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पूर्व में भी संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि ई–वेस्ट निपटान का फार्म–3 में वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त के संबंध में कोई जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित नही की गई है।

उपरोक्त नियम के उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत् इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की कैद व एक लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ई–वेस्ट निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं इस कार्यालय को रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में भरकर 15 दिवस के भीतर सूचित करे। प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। अन्यथा नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर प्रावधानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(अंकित बघेल)
प्रभारी अधिकारी, ई–वेस्ट